following activities or transactions undertaken by the Central Government or State Government or any local authority in which they are engaged as public authority, shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of service, namely:-

"Services by way of any activity in relation to a function entrusted to a Panchayat under article 243G of the Constitution."

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 334/1/2017-TRU] RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 15/2017- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 706(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उपधारा (3) के साथ पठित, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 की उपधारा (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित करती है कि संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 21 की उपधारा (xiv) के अधीन अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय को केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की अनुसूची 2 की मद 5 की उपमद (ख) में विनिर्दिष्ट सेवा की पूर्ति की दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/1/2017-टी.आर.यू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 15/2017-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 706(E).—In exercise of the powers conferred by clause (xiv) of section 21 of the **Union Territory Goods** and Services Tax, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (3) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council hereby notifies that no refund of unutilised input tax credit shall be allowed under clause (xiv) of section 21 of the said **Union Territory Goods and Services Tax Act**, read with sub-section (3) of section 54 of the said Central Goods and Services Tax Act, in case of supply of services specified in sub-item (b) of item 5 of Schedule II of the Central Goods and Services Tax Act, 2017.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 334/1/2017-TRU] RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 16/2017- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 707(अ).—केन्द्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,--

(i) संयुक्त राष्ट्र या विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन; और

(ii) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या राजनयिक अभिकर्ता या उसमें पद स्थापित कैरियर कौंसलीय अधिकारी,

इस धारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विनिर्दिष्ट करती है :--